बिहार सरकार (8(ग)) -2

सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना–15, दिनांक 17-11-23

विषयः– बिहार प्रशासनिक सेवा के नवनियुक्त परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक–17214, दिनांक–21.09.2022 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए 80 सप्ताह के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण का निर्धारण किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–13182, दिनांक–12.07.2023 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा चयनित सभी संवर्ग के पदाधिकारियों के सांस्थिक प्रशिक्षण के संबंध में लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के नवनियुक्त पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की अवधि एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

वर्णित स्थिति में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के बढ़ते उत्तरदायित्व, प्रशासन की नई चुनौतियाँ, विकास कार्यक्रमों में उत्तरोत्तर वृद्धि, कार्य निष्पादन की नई–नई तकनीक, लोक दायित्व में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा के नवनियुक्त पदाधिकारियों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि को 01 वर्ष (52 सप्ताह) करते हुए प्रवेशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम को निम्नवत् निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है :–

क्रम सं0	प्रशिक्षण का चरण	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि (सप्ताह)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	प्रथम चरण (08 सप्ताह)	1. सांस्थिक अनुकूलन कार्यक्रम (Institutional Orientation Programme)	06	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), पटना/गया के अधीन।
		2. भारत दर्शन एवं राज्य के बाहर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में सांस्थिक प्रशिक्षण	02	Administrative Staff College of India/ National Institute of Rural Development, Hyderabad and Others.
2	द्वितीय चरण (सेवा से संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण) (13 सप्ताह)	1. (i) भारतीय दंड संहिता, (ii) दंड प्रक्रिया संहिता (iii) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम (iv) भारतीय साक्ष्य अधिनियम (v) सिविल प्रक्रिया संहिता	13	
		2. विकास, निर्वाचन, समाज कल्याण से संबंधित अधिनियम		
		3. (i) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, (ii) बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 (iii) बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015		
		4. (i) बिहार म्यूनिसिपल एक्ट, 2007 (ii) बिहार मोटरयान अधिनियम, 1988		
		5. (i) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 (ii) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (iii) बिहार सेवा संहिता, (iv) बिहार कोषागार संहिता, (v) बिहार वित्त नियमावली, (vi) बिहार पेंशन नियमावली		

3	तृतीय चरण (27 सप्ताह)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी (स्वतंत्र प्रभार में)	04	परीवीक्षाधीन पदाधिकारियों द्वारा अपने सेवा से संबंधित विषयों पर कुछ प्रकल्प (Projects) का भी निर्माण किया जायेगा।
		2. अंचल अधिकारी (स्वतंत्र प्रभार में)	04	
		3. नजारत शाखा	02	
		4. वाणिज्य–कर / परिवहन	02	
		5. मद्यनिषेध एवं निबंधन कार्यालय	01	
		6. राजस्व शाखा, भू–अर्जन एवं राजस्व न्यायालय (DM, ADM, DCLR Courts)	02	
		7. कोषागार प्रशिक्षण	02	
		8. सर्वे एवं बंदोबस्त	02	
		9. पंचायत / प्रखंड / अंचल निरीक्षण	01	
		10. सामाजिक सुरक्षा एवं मानव संसाधन (शिक्षा एवं स्वास्थ्य)	01	
		11. न्यायिक प्रशिक्षण	02	
		12. आपदा प्रबंधन, सामान्य शाखा एवं जन सम्पर्क	01	
		13. कृषि / विकास शाखा / पुलिस विभाग / सहकारिता एवं बैंकिंग / अभिलेखागार	02	
		14. अनुमंडल कार्यालय	01	
4	चतुर्थ चरण (04 सप्ताह)	प्रशिक्षणार्थियों द्वारा निर्मित प्रकल्प (Project) का प्रस्तुतीकरण एवं सचिवालय प्रशिक्षण हेतु सचिवालय के विभिन्न विभागों से संबद्ध किया जाना।	04	
		कुल	**52**	**(बावन सप्ताह)**

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी, पटना / बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सतीश कुमार तिवारी)
अवर सचिव।

ज्ञापांक–12/नि0–1009/2023 सा0प्र0 21417 पटना, दिनांक 17-11-23

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से) प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

17/11/2023

अवर सचिव।

ज्ञापांक–12/नि0–1009/2023 सा0प्र0 21417 पटना, दिनांक 17-11-23

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारी, प्रशाखा–12, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

17/11/2023

अवर सचिव।